86

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1054-तीन/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-8-2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक-162/अपील/2003-04.

.....

राजा लोधी उर्फ राजा भैइया लोधी तनय मौजीलाल लोधी
निवासी खाभार तहसील नागोद जिला सतना म0प्र0

-----आवेदक

विरूद्ध

मौजीलाल लोधी तनय गोरा लोधी
निवासी खाभार तहसील नागोद जिला सतना म0प्र0

-----अनावेदक

.....

श्री डी0 एस0 चौहान, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9|3|18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 30-8-2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन आराजी के बटवारा हेतु आवेदन पत्र संहिता की धारा 178 के तहत प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने आदेशदिनांक 30-8-03 को बटवारा आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय

अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 27-12-2003 के द्वारा अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त् के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 30-8-2008 के द्वारा आवेदक की अपील निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के समक्ष बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नायब तहसीलदार ने विधिवत प्रक्रिया अपनाकर बटवारा आदेश पारित नहीं किया है। प्रकरण में अनावेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया है। साक्ष्य का अवसर न दिये जाकर प्रकरण में साक्ष्य नहीं लिये गये हैं और पूर्व में हुये आपसी बटवारे का भी ध्यान नहीं रखा गया है। इसी कारण अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः नायब तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि वे फर्दपुल्ली की आपत्ति पर विचार कर पक्षकारों के बीच पूर्व में हुये आपसी बटवारा का परीक्षण कर पक्षकारों को साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर संहिता की धारा 178 के प्रावधानों का पालन कर गुण-दाषों के आधार पर प्रकरण का विनिश्चयन करें। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के वैधानिक आदेश की पुष्टि कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 30-8-2008 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,